न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 34 / 2024

GCMS No. : 2024/224

प्रार्थी:– जरिये सरकार नारायणसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्री दलपत कुमार पुत्र ढलाराम जाति घांची मैसर्स हरी नारायण किराणा स्टोर चुंगी नाका प्रताप बाजार देसुरी रोड रानी जिला पाली (दुकान मालिक)
2. संदीप मुथा पुत्र श्री महेन्द्र कुमार मुथा मैसर्स शाह लक्खी चन्द महेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी जे 2ा 3 मंडोर मंडी जोधपुर 342001 (विक्रेता)
3. आशीष प्रसाद पुत्र ध्यानचंद प्रसाद मैसर्स विजय सोलवेक्स लिमिटेड भगवती सदन स्वती दयादन्द नगर मार्ग अलवर राजस्थान 301001 (Manufacturer unit)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.7.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 04.11.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स हरी नारायण किराणा स्टोर चुंगी नाका प्रताप बाजार देसुरी रोड रानी जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम दलपत कुमार बताया एवं स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। दुकान के निरीक्षण के दौरान 15 लीटर वनस्पति पैक के 25 पीपों में रखा हुआ था जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने वनस्पति का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये ओमप्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की वनस्पति का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में वनस्पति की पैक पीपा को खोलकर 02 किलो वनस्पति वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 640/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा वनस्पति के पैकेट को नियमांनुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2180 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से वक्त नमुना लेते समय खरीद बिल पेश किया किया जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किया, अप्रार्थी की दुकान से लिया गया वनस्पति का नमुना संख्या आर–2180 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/2993/एक्ट/2023/3036 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति जरिये डाक अप्रार्थीगण को भिजवायी गई। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) वनस्पति का उत्पादन/विनिमय/वितरण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबध में अपना लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की फर्म से लिया गया वनस्पति का नमुने के संबध में लैब की जांच रिपोर्ट के अवमानक पाया गया चुकिं निर्माता फर्म द्वारा माल विक्रय करने से पुर्व अपनी प्रयोगशाला में पुर्ण जांच करने के उपरांत ही विक्रय हेतु बाजार में भेजा जाता है, अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त वनस्पति को थोक विक्रेता अप्रार्थी संख्या 02 से खरीद किया एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त वनस्पति निर्माता कम्पनी अप्रार्थी संख्या 03 से खरीद किया है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जिस अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नही की जाती है। जांच रिपोर्ट के अनुसार वनस्पति में पायी गयी कमी को भविष्य में सुधारने का प्रयास किया जायेगा। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करावें।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.11.2023 को अप्रार्थी की दुकान से वनस्पति वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2180 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये वनस्पति का नमुना कोड संख्या आर–2180 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया वनस्पति का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) वनस्पति का उत्पादन/विनिमय/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 प्रत्येक पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये कुल 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली